न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 11/2026

अनवान : –

1. साहिल उम्र 16 वर्ष पुत्र महेन्द्र नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सुमन पत्नी स्व0 महेन्द्र जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. रजत उम्र 17 वर्ष पुत्र महेन्द्र नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सुमन पत्नी स्व0 महेन्द्र जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. बृजलाल पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. श्रवण पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. शीला पुत्री बृजलाल पत्नी पवन कुमार जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 26/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा ढण्डेला बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 321/291 के प.न. 396/1 की 0.2400 हैक्टर भूमि जिसमें से 1/16 हिस्सा भूमि का खातेदार दर्ज है एवं रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 133/111 के ख.न. 395/2 की 4.4010 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. 1 का 8803/176040 हिस्सा भूमि एंव रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 128/112 के ख.न. 396/2 की 5.7350 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. 1 का 1/32 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि पैतृक हक व हिस्सा की भूमि है तथा सायलान व गैरसायलान सं. 2 व 3 गैरसायल सं. 1 के साथ कोपासर्नर है चुंकि गैरसायल सं. 1 के कर्ता खान दान होने के कारण वाद भूमि तीनो खातेजात की भूमि अपने अकेले के नाम अनुचित तौर से दर्ज करवा रखी है। सायलान के पिता महेन्द्र फौत हो चुके है। तथा सायलान तीनो खातेजात की भूमि में गैरसायल सं. 1 के साथ 1/4 हिस्सा भूमि सयुक्ततः खातेदार काश्तकार है तथा सायलान उपरोक्त आशयों की घोषणा करवापाने का अधिकारी है। गैरसायल सं. 1 ने अपने नाम अकेले के वाद भूमि अनुचित तौर से दर्ज करवा रखी है। तथा वाद भूमि में सायलान 1/4 हिस्सा भूमि के सयुक्त तौर से खातेदार काश्तकार है। गैरसायल सं. 1 जो कि गैरसायलान सं. 2 ता 3 के जैरअसर में है तथा गैरसायल सं. 1 शराब आदि व्यसन करता है तथा वाद भूमि अन्यत्र रहन / बैय करने पर आमादा है। अपने व्यसन की पूर्ति हेतु वाद भूमि गैरसायल सं. 1 बैचान करने पर तुला हुआ है। तथा रोजना ग्राहको के गेड़े लगता है। वाद भूमि पैतृक है यदि गैरसायलान सं. 1 अन्यत्र वाद भूमि रहन / बैय कर देता है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होती है। ना पुरा होने वाला नुक्शान होता है इसलिए सायलान जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा गैरसायल सं. 1 को पाबन्द करापाने का मजाज है कि वादग्रस्त भूमि को रहन/वैय करने से निषिद्ध रहे।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजाा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 321/91 के ख0न0 396/1 की 0.2400 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि, खाता स० 133/111 के ख0न0 395/2 की 4.4010 हैक्ट भूमि में से 8803/176040 हिस्सा भूमि व खाता स० 128/112 के ख0न० 396/2 की 5.7350 हैक्ट भूमि में से 1/32 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स० 1 के नाम दर्ज है में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त भूमि मे से प्रार्थीगण के हिस्सा के रिकार्ड की यथास्थिति आगामी पेशी तक बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता वकील प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है। उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है है यानि बाई बर्थ राईट है। इसलिए सायल अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है लेकिन अप्रार्थी स0 1 द्वारा बिना नाजायज जरूरतो के भूमि के रहन, बैय किया जा रहा है।

जबकि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स० 133/111 के ख0न0 395/2 की 4.4010 हैक्ट भूमि में से 8803/176040 हिस्सा भूमि व खाता स० 128/112 के ख0न० 396/2 की 5.7350 हैक्ट भूमि में से 1/32 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है जबकि रोही मौजाा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 321/91 के ख0न0 396/1 की 0.2400 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम आरजी काश्तकार है अर्थात खातेदार नही है। अत रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स० 133/111 के ख0न0 395/2 की 4.4010 हैक्ट भूमि में से 8803/176040 हिस्सा भूमि व खाता स० 128/112 के ख0न० 396/2 की 5.7350 हैक्ट भूमि में से 1/32 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है बाबत अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है जबकि रोही मौजाा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 321/91 के ख0न0 396/1 की 0.2400 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि हेतु अप्रार्थी को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है।

उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक सिद्ध होता है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने से रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स० 133/111 के ख0न0 395/2 की 4.4010 हैक्ट भूमि में से 8803/176040 हिस्सा भूमि व खाता स० 128/112 के ख0न० 396/2 की 5.7350 हैक्ट भूमि में से 1/32 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है में अस्थाई निषेधाज्ञा से कन्फर्म किया जाता है की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में प्रार्थीगण के हिस्सा के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता स0 321/291 की कुल 0.2400 हैक्ट भूमि में दिनांक 20.01.2026 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/05/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर